## **Details Regarding Construction of Car Parking**

- SHRI BHARAT BUSHAN BATRA, M.L.A.: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state the following details regarding Construction of car parking-cum-commercial complex at Urban Estate Rohtak and Old Police station & Bhiwani stand on PP mode at Rohtak for which allotment of work vide CM Announcement code 12631 & 12632 was made in 2016:
  - a) the officers/authority who made the proposal alongwith complete notes of file from Commissioner, Municipal Corporation, Rohtak up to ACS, Urban Local Bodies Department;
  - b) The proceedings of the meeting of the Committee of Secretaries on infrastructure and noting vide which final approval of Hon'ble Chief Minister was given; and
  - c) the criteria adopted by Commissioner, Municipal Corporation, Rohtak and Deputy Commissioner, Rohtak to assess the market value of land of the project i.e. fixing the commercial rate i.e. 70,000/- per sq meter for prime location and Rs.25,000/- per sq meter for non prime location and Bhiwani stand and rate fixed at Urban Estate (HSVP) Rohtak?

## Anil Vij, Urban Local Bodies Minister

The Hon'ble member may kindly refer to the sub-clause 12 of clause 46 of the Rules of Procedures of Haryana Vidhan Sabha which reads as under:

"46 In order that a question may be admissible it shall satisfy the following conditions, namely -----

(12) It shall not require information contained in documents ordinarily accessible to the public or any ordinary works of reference"

In view of the fact that all the information sought by way of question, can be accessed under the provisions of Right to Information Act by the ordinary public, the question which has been asked is in-admissible and accordingly is not required to be answered.

## कार पार्किंग के निर्माण से संबंधित ब्यौरा

- 366. श्री भारत भूषण बतरा, एम.एल.ए.: क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृप्या बताएंगे कि रोहतक में अर्बन स्टेट रोहतक तथा ओल्ड पुलिस स्टेशन तथा रोहतक में पी.पी. मोड पर भिवानी स्टैण्ड पर कार पार्किंग कम व्यावसायिक कॉम्पलैक्स का निर्माण संबंधी निम्नलिखित ब्यौरा क्या है जिसके लिए मुख्यमंत्री की घोषणा कोड 12631 और 12632 द्वारा 2016 में कार्य का आबंटन किया था:—
  - (क) अधिकारी / प्राधिकारी कौन हैं जिन्होंने आयुक्त, नगर निगम, रोहतक से अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्थानीय निकाय विभाग तक फाईल के पूर्ण नोट्स सहित प्रस्ताव तैयार किया;
  - (ख) अवसंरचना तथा नोटिंग द्वारा सचिवों की समिति की बैठक की कार्यवाही क्या है, जिसके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अंतिम अनुमोदन दिया गया; तथा
  - (ग) परियोजना की भूमि के बाजार मूल्य अर्थात चुनिंदा उत्तम स्थान के लिए 70,000/— प्रति वर्ग मीटर वाणिज्यिक दर निश्चित करना तथा गैर चुनिंदा उत्तम स्थान तथा भिवानी स्टैण्ड तथा शहरी संपदा (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) रोहतक के लिए 25,000 प्रति वर्ग मीटर निर्धारित करने के लिए आकलन के लिए आयुक्त, नगर निगम, रोहतक तथा उपायुक्त, रोहतक द्वारा अपनाये गए मानदण्ड क्या हैं?

## अनिल विज, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री

मननीय सदस्य कृपया हरियाणा विधानसभा की प्रक्रियाओं के नियमों के उप—खड़ 12 खड़ 46 का उल्लेख करें, जो निम्नानुसार हैः

- "46. किसी प्रश्न के ग्राहय होने के लिए निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी होंगी, अर्थात:—
  - (12) उसमें ऐसी जानकारी की अपेक्षा नहीं की जाएगी जो उन दस्तावेजों में, जिन तक जनता की साधारण पंहुच हो, या निर्देश की सामान्य कृतियों में पाई जाने वाली हो"

इस तथ्य के मद्देनजर कि प्रश्न के माध्यम से मांगी गई सभी सूचनाओं का आम जनता द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधान के तहत मूल्यांकन किया जा सकता है, जो प्रशन पूछा गया है वह अस्वीकार्य है और तदानुसार उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।